

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था./2017

रायपुर, दिनांक / /2017

// कार्यालय सूचना //

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 समस्त शासकीय सेवकों को 01.01.2016 से प्रावधानित होना समझा जाएगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में भी यह नियम लागू किए गए हैं।

नियमों के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण किया जाना है। निर्धारित वेतन नियतन पत्रक कृपया स्थापना शाखा से प्राप्त कर दिनांक और उसमें विकल्प के अनुरूप प्रविष्टि कर बुधवार, दिनांक 21 जून, 2017 तक अपनी शाखा के अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करें। विकल्प के साथ प्रविष्टि किए गए वेतन नियतन पत्रक प्राप्त होने पर स्थापना शाखा द्वारा अंतिम रूप से परीक्षण कर वेतन निर्धारण किया जाएगा।

उपरोक्त तिथि तक जो शासकीय सेवक निर्धारित पत्रक में प्रविष्टि कर पत्रक उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके संबंध में यह माना जाएगा कि वे विकल्प देना नहीं चाहते हैं और स्थापना शाखा द्वारा उनका वेतन निर्धारण किया जा सकेगा।

हस्ता/-

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 15/6 /2017

क्रमांक 3007 /वि.स./स्था./2017

प्रतिलिपि-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव, को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव, को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।



अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा